ऐतिहासिक शहरों, नगरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचाव तथा प्रंबधन के लिये वेलेटा सिद्धान्त

17वी ईकोमॉस (ICOMOS)

महासभा द्वारा 29 नवम्बर 2011 को अपनाये गये

प्रस्तावना

मानवता को आज अनेकों परिवर्तनों का सामना करना होगा। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध सामान्य रूप से मानव बस्तियों तथा विशेषकर ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रों से है। बाजारों तथा उत्पादन की विधियों के वैश्वीकरण के कारण जनसंख्या का स्थान्तरण क्षेत्रों के बीच नगरों की ओर विशेषकर बडे शहरों की तरफ होता है। राजनीतिक शासन तथा व्यवसाय प्रथाओं में परिवर्तन के कारण नगरों तथा शहरी क्षेत्रों में नई संरचनाओ तथा नई परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पहचान को सुद्धढ़ बनाने के प्रयासों के अर्न्तगत पृथक करण और सामाजिक मूलहीनता को रोकने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है।

शहरी संरक्षण पर गहन चिन्तन के लिये अब चिन्तन का एक अंतरराष्ट्रीय ढ़ाचा है जिसके अन्तर्गत इन नयी आवश्यकताओं की बढ़ती हुई जागरूकता है। जिन संगठन पर विरासत संरक्षण तथा उसके गुणों की वृद्धि करने का दायित्व है उनके लिये आवश्यक है कि वे उपने कौशलों, साधनों, नज़रियों तथा, कई मामालो में, योजना बनाने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को भी विकसित करें।

वर्तमान संदर्भ दस्तावेजों के आधार पर CIVVIH (ईकोमॉस – ऐतिहासिक नगरों तथा गाँवों पर अन्तराष्ट्रीय समिति) ने वाशिंगटन चार्टर (1976) तथा नैरोबी सिफारिश (1976) में निहित दृष्टिकोणों तथा विचारों का इस कारण से नवीनीकरण किया है। CIVVIH ने आवश्यक उद्देशों, नजरियों तथा साधनों को पुनः परिभाषित किया है। उसने ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचाव तथा प्रबंधन से संबधित परिभाषाओं तथा कार्य प्रणालीयों में हुए महत्वपूर्ण क्रमिक विकास का भी ध्यान रखा है।

संसोधन न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं अपितु क्षेत्रीय पैमाने पर ऐतिहासिक विरासत के मुद्दे की अत्यधिक जागरूकता को प्रतिबिंबित करते हैं; अमूर्त गुण जैसे निंरतरता और पहचान; परपरागत भूमि के उपरयोग, सामुदायिक पारस्परिक व्यवहार में सार्वजनिक स्थान की भूमिका, तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक कारकों जैसे एकीकरण तथा पर्यावरण संबधी कारकों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। भूदृश्य की भूमिका सामान्य आधार के रूप में, या नगरीय दृश्य की संकल्पना जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति तथा गगनरेखा एक पूर्ण रूप में समलित हो इन सभी पर केन्द्रित प्रशन पहले से अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण संशोधन, खास तौर पर तेज़ी से प्रगतिशील शहरों में, बडे पैमाने पर विकास की समस्यों को ध्यान में रखता है, जो कि ऐतिहासिक शहरी आकृति संरचना को निर्धारित करने में मदद करने वाले पारंपरिक भूखंडो की माप को परिवर्तित करते हैं।

इस मायने में शहरी परितंत्र के हिस्से के रूप में विरासत को एक महत्वपूर्ण साधन मानना आधारभूत है। ऐतिहासिक नगरों तथा उनके वातावरण का सामजेस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए इस संकल्पना का सख्ती से सम्मान करना चाहिये।

संपोषणीय विकास की धारणा को ऐसा महत्व मिल गया है कि वास्तुशिल्प नियोजन तथा हस्तक्षेपों पर बहुत सारे निर्देश अब ऐसी नितियों पर आधारित है जो शहरी विस्तार को सीमित करने तथा शहरी विरासत को बचाने के लिये बनायी गई हैं।

इस दस्तातेज़ का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रो में हर हस्तक्षेप पर लागू होने वाले सिद्धांतो और रणनीतियों का प्रस्ताव करना है। इन सिंद्धातो एवं रणनीतियों का उद्देश्य ऐतिहासिक नगरों तथा उनके वातावरण के गुणों की रक्षा करना, साथ ही हमारे समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में उनका एकीकरण करना भी है।

इन हस्तक्षेपों को मूर्त तथा अमूर्त विरासत गुणों के साथ–साथ निवासियों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति समान को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना चाहिये।

ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रों एवं उनके वातावरण के बचाव से सम्बंधित यह वर्तमान दस्तावेज चार भागों में विभाजित है:

1 – परिभाषायें
2 – परिवर्तन के पहलू (चुनौतियां)
3 – हस्तक्षेप मानदंड
4 – प्रस्ताव एंव रणनीतियाँ

1 – परिभाषायें

क – ऐतिहासिक नगर तथा शहरी क्षेत्र

ऐतिहासिक नगर और शहरी क्षेत्र मूर्त तथा अमूर्त अवयवों से मिलकर बने होते हैं। मूर्त अव्यवों में शहरी संरचना के साथ–साथ, वास्तुशिल्प तत्वों, नगर के अन्दर तथा उसके चारों और का प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक अवशेष, परिदृश्य, गगन रेखायें, दृश्य रेखायें तथा महत्वपूर्ण स्थल सम्मिलित होते हैं। अमूर्त अव्यवों में सम्मिलित होते हैं क्रिया कलाप, प्रतीकात्मक तथा ऐतिहासिक प्रकार्य, सांस्कृतिक प्रथायें, परंपरायें, स्मृतियाँ और सांस्कृतिक उल्लेख जो उनके ऐतिहासिक गुणों के सार का गठन करते हैं।

ऐतिहासिक नगर तथा शहरी क्षेत्र स्थानिक संरचनायें है जो समाज तथा उसकी सांस्कृतिक पहचान के क्रमिक विकास को व्यक्त करते हैं। वे एक विस्तृत प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित परिस्थिति का एक अभिन्न हिस्सा हैं तथा दोनों को अभिन्न मानना चाहिये। ऐतिहासिक नगर तथा शहरी क्षेत्र उस अतीत का जीता जागता सबुत हैं जिसने उन्हें बनाया।

ऐतिहासिक अथवा पारमपरिक क्षेत्र मानव के दैनिक जीवन का हिस्सा है। उनकी रक्षा तथा समकालीन समाज में उनका एकीकरण नगर–नियोजन तथा भूमि विकास के लिये आधार है।

ख – परिवेश

परिवेश का अर्थ है वो प्राकृतिक और/अथवा मानव निर्मित परिस्थितियाँ (जिसमें ऐतिहासिक शहरी विरासत स्थित है) जो उन स्थिर या सक्रिय तरीकों को प्रभावित करती है जिनके द्वारा इन क्षेत्रों को समझा जाता है, अनुभव किया जाता है और/अथवा उनका आनन्द उठाया जाता है, या जो उनसे सीधे सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुये हैं।

ग – सुरक्षित रखना

ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रों को, और उनके परिवेश को सुरक्षित रखने में, वो प्रक्रियायें शामिल होती हैं जो उनकी रक्षा, संरक्षण, वृद्धि तथा प्रबधन के साथ साथ उनके विकास तथा समकालीन जीवन में सामजस्यपूर्ण अनुकूलन के लिये आवश्यक होती हैं।

घ – संरक्षित शहरी क्षेत्र

संरक्षित शहरी क्षेत्र शहर को वो हिस्सा होता है जो ऐतिहासिक काल या शहर के विकास के चरण को दर्शाता है। इसमें स्मारक तथा प्रमाणिक शहरी संरचना शामिल होती है, जिसमें इमारतें उन सांस्कुतिक गुणों को व्यक्त करती हैं जिनके लिये वह स्थान संरक्षित किया गया है।

संरक्षण में शहर का ऐतिहासिक विकास भी शामिल हो सकता है तथा वो उसके विशेष नागरिक, धार्मिक एवं सामाजिक प्रकार्यों को सहारा दे सकता है।

ड़ – बफर ज़ोन (मध्यवर्ती क्षेत्र)

बफर ज़ोन संरक्षित क्षेत्र के बाहर वो स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र है जिसकी भूमिका संरक्षित क्षेत्र के सांस्कृतिक गुणों को उसके वातावरण में होने वाली गतिविधियों के प्रभाव से बचाये रखना होता है। यह प्रभाव भौतिक, दृष्टि सम्बन्धी या सामाजिक हो सकता है।

च – मैनेजमेंट प्लान (प्रबन्धन योजना)

मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा दस्तावेज है जो विरासत के बचाव में प्रयोग मे आने वाली सभी कार्यनीतियों तथा साधनों को विस्तार पूर्वक उल्लेखित करता है साथ ही साथ समकालीन जीवन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। इसमें वैधानिक, वित्तीय, प्रशासनिक और संरक्षण दस्तावेजों, के साथ ही संरक्षण तथा निगरानी संबधी योजनायें भी शामिल होती हैं।

छ – स्पिरिट ऑफ प्लेस (जगह की आत्मा)

स्पिरिट ऑफ प्लेस का तात्पर्य उन मूर्त तथा अमूर्त, भौतिक और आघ्यात्मिक तत्वों से है जो उस क्षेत्र को उसकी विशिष्ठ पहचान, अर्थ, भावना तथा रहस्य प्रदान करते हैं। स्पिरिट स्थान का सृजन करती है और साथ ही साथ स्थान इस स्पिरिट को बनाता और आकार देता है (क्यूबेक घोषणा, 2008) ।

2 – परिवर्तन के पहलू

जीवित जीवों की तरह ऐतिहासिक नगरों एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये बदलाव नगर के सभी अव्यवों को प्रभावित करते हैं (प्राकृतिक, मानवीय, मूर्त और अमूर्त)।

परिवर्तनों को जब उचित तौर पर प्रबन्धित किया जाता है तो वो ऐतिहासिक गुणों के आधार पर ऐतिहासिक नगरों एवं शहरी क्षेत्रों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का अवसर हो सकतें हैं।

क – परिवर्तन और प्राकृतिक वातावरण

वाशिंगटन चार्टर ने पहले से ही प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तनों से जुडी समस्यायों पर ध्यान केंद्रित किया हैः ''ऐतिहासिक नगरों (तथा उनके परिवेश) को प्राकृतिक आपदाओं और परेशानियों जैसे प्रदूषण और कंपनों से बचाना चाहिये जिससे की विरासत को बचाया जा सके तथा निवासियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके'' (वाशिंगटन चार्टर)।

ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रो में परिवर्तन का आधार, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, उर्जा की बर्बादी और प्राकृतिक चक्र के संतुलन के विघटन को बचाते हुये, प्राकृतिक संतुलन के प्रति सम्मान पर आधारित होना चाहिये।

परिवर्तन का उपयोग होना चाहियेः ऐतिहासिक नगरो एवं शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण परिस्थिति का सुधार करने के लिये; हवा, पानी, और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये; हरित स्थानों के फैलाव तथा सुलभता को प्रोत्साहित करने के लिये; और प्राकृतिक संसाधनों पर अनुचित दबाव रोकने के लिये ।

ऐतिहासिक नगरों तथा उनके वातावरण को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ते हुये लगातार होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना चाहिये।

ऐतिहासिक नगरो एवं क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि शहरी संरचना की भंगुरता के साथ ही, कई इमारतें अप्रचलित होती जा रही हैं, जलवायु परिवर्तन से होनी वाली समस्याओं से निपटने के लिये बहुत अधिक लागत की आवश्यकता पड़ती है।

उद्देश्य होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन की बढ़ती हुई विश्वव्यापी जागरूकता से उत्पन्न होने वाली कार्यविधियों से फायदा उठाया जाये और ऐतिहासिक नगरों के बचाव से संबधित चुनौतियों का सामना करने के लिये उन्हें उचित रूप से लागु किया जाये।

ख – परिवर्तन और निर्मित वातावरण

आधुनिक वास्तुकला के विषय पर वाशिंगटन चार्टर कहता है: ''परिवेश के साथ सामंजस्य रखने वाले समकालीन तत्वों के प्रवेश को हतोत्साहित नही करना चाहिये क्योंकि ऐसे तत्व क्षेत्र के अलंकरण में सहयोग कर सकतें हैं।''

समकालीन वास्तुशिल्प तत्वों के समावेश को स्थान और उसके वातावरण के गुणों का आदर करना चाहिये। ये नगर के अलंकरण में सहयोग कर शहरी निरंतरता के गुण को जीवित कर सकते हैं।

उपयुक्त वास्तुशिल्प हस्तक्षेपों का स्थानिक, दृष्टि संबधित, अमूर्त और कार्यात्मक रूप में आधार ऐतिहासिक गुणों, नमूनों, तथा परतों के प्रति आदर होना चाहिये।

नई वास्तुकला को ऐतिहासिक क्षेत्र की स्थानिक बनावट के अनुकूल होना चाहिए और उसकी पारंपरिक आकृतिक संरचना का आदर करने के साथ ही उस समय और जगह के वास्तुकला रूझान की मान्य अभिव्यक्ति भी होना चाहिये। शैली और अभिव्यक्ति पर ध्यान दिए बिना, हर नई वास्तुकला को कठोर या अत्याधिक विषमता तथा शहरी संरचना और स्थान की निरंतरता में खंडीकरण और अवरोध के बुरे प्रभावो से दूर रहना चाहिये।

संयोजन की उस निरंतरता को प्राथमिकता देनी चाहिये जो मौजूदा वास्तुकला को प्रतिकूल ढ़ग से प्रभावित न करे और साथ ही उस समझदार रचनात्मकता को अनुमति दे जो स्पिरिट ऑफ प्लेस को अंगीकृत करे।

वास्तुकारों और शहरी योजनाकारों को ऐतिहासिक शहरी परिस्थिति की गहन समझ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

ग – उपयोग और सामाजिक वातावरण में परिवर्तन

पारंपरिक उपयोगों और कार्यों, जैसे कि एक स्थानीय समुदाय के रहन सहन के विशिष्ठ तरीकों की हानि और/अथवा प्रतिस्थापन का ऐतिहासिक नगरो एवं शहरी क्षेत्रों पर

नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर इन परिवर्तनों के स्वरूप को ना पहचाना जाये तो, इनकी वजह से समुदायों का विस्थापन हो सकता है और सांस्कृतिक प्रथायें लुप्त हो सकती हैं, तथा छोडी दी गयी जगहों की पहचान और विशेषता का नाश हो सकता है। इनकी वजह से ऐतिहासिक नगर एवं शहरी क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों मे बदल सकते हैं जो केवल एक तरह के कार्यों के लिये समर्पित हो जायेगें जैसे पर्यटन और अवकाश और रोज मरराह के जीवन के लिये उपयुक्त नहीं रहेंगे।

ऐतिहासिक नगर के संरक्षण के लिये आवश्यक है कि पारंपरिक प्रथाओं को बनाये रखा जाये तथा स्थानीय जनसंख्या को बचाया जाये।

ये भी महत्वपूर्ण है कि किराये बढ़ने की वजह से होने वाली जैनेट्रिफिकेशन (पुराने शहरी क्षेत्रो में अधिक आय वाले लोगों द्वारा कम आये वाले लोगों को विस्थापित करना) की प्रक्रिया और नगर या क्षेत्र के आवासों और सार्वजनिक स्थानों के क्षय को नियंत्रित किया जाये।

ये महत्वपूर्ण है कि ये पहचाना जाये कि जैनेट्रिफिकेशन की प्रक्रिया समुदायों को प्रभावित कर सकती है और एक जगह की लोगों के रहने लायक होने की योगयता और अन्ततः उसकी विशेषता का क्षय कर सकती है।

हर जगह की पारंपरिक सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को बनाये रखना बहुत जरूरी है खास तौर पर जब वो उस जगह की विशषता हो।

ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों में यह खतरा बना रहता है कि वो बडे पैमाने पर पर्यटन के लिये उपभोक्ता उत्पाद न बन जायें जिसकी वजह से उनकी प्रमाणिकता और विरासत गुण की हानि हो सकती है।

अतः नई गतिविधियों को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना चाहिये जिससे माध्यमिक नकारात्मक प्रभावों को जैसे यातायात टकराव या यातायात जमाव को टाला जा सके।

घ – परिवर्तन और अमूर्त विरासत

अमूर्त विरासत का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की निर्मित वातारण का संरक्षण और बचाव।

अमूर्त अव्यव जो जगह की पहचान तथा स्पिरिट ऑफ प्लेस में योगदान देते हैं उन्हें स्थापित तथा संरक्षित किया जाना चाहिये, क्योंकि वे एक क्षेत्र की विशेषता तथा स्पिरिट को निर्धारित करने में सहायक होते हैं।

3 – हस्तक्षेप मानदंड

क – गुण

ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी हस्तक्षेपों को अपने मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक, गुणों का आदर करना चाहिए एवं उनसे संबद्ध होना चाहिये।

ख – गुणवत्ता

ऐतिहासिक नगरों तथा शहरी क्षेत्रों में होने वाले हर हस्तक्षेप का उद्देश्य होना चाहिये स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा वातावरण की गुणवत्ता को भी सुधारना।

ग – मात्रा

परिवर्तनों का संग्रह किसी ऐतिहासिक नगर और उसके गुणों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

मुख्य परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों से तब तक बचना चाहिये, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से शहरी वातावरण और उसके सांस्कृतिक गुणों में सुधार लाने के काबिल न हों।

वे परिवर्तन जो शहरी विकास में अतर्निहित हैं उन्हें नियंत्रित करना चाहिये और सावधानी पूर्वक प्रबन्धित करना चाहिये जिससे नगरी दृश्य और वास्तु संरचना पर न्यूनतम भौतिक और दृष्टि संबधी प्रभाव पड़े।

घ – सामंजस्य

सामंजस्यता" पर नैरोबी सिफारिशों का अनुच्छेद 3 कहता है:

हर ऐतिहासिक क्षेत्र और उसके परिवेश को उसकी समग्रता में एक सामंजस्यपूर्ण एकाई के रूप में समझाना चाहिये जिसका संतुलन और विशिष्ट स्वभाव उन हिस्सों के विलय पर निर्भर करता है जिनसे मिलकर वह बना है और जिसमें इमारतों, स्थानिक संघटन और

परिवेश के साथ–साथ माननीय कार्य कलाप भी शामिल हों। अतः सारे मान्य अव्यव जिनमें माननीय कार्यकलाप भी शामिल हैं, चाहे जितने भी मामुली हो, उनका भी महत्व संपूर्ण इकाई के संबध में है और इसको भुलाया नही जाना चाहिये।

ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ उनके परिवेशण को भी उसकी समग्रता में समझना चाहिये।

उनका संतुलन और स्वभाव उनके घटक भागों पर निर्भर करता है।

हालाँकि ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा, शहरी संरचना और उसके परिवेश की सामान्य समझ का अभिन्न हिस्सा होना चाहिये। इसके लिये आवश्यक हैं सामंजस्यतापूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास नीतियाँ जो ऐतिहासिक नगरों को नियोजन के हर स्तर पर ध्यान में रखने के साथ उनकी सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें।

ड़ – संतुलन और अनुकूलता

ऐतिहासिक नगरों की सुरक्षा में, एक अनिवार्य शर्त के रूप में, मौलिक स्थानिक, पर्यावरण संबधी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन को बनाये रखना शामिल होना चाहिये। इसके लिये ऐसे कार्य करने चाहिए जो शहरी संरचना को मूल निवासियों को बनायें रखने की अनुमति दे और नये आगमन (निवासियों या ऐतिहासिक नगर के उपयोगकर्ताओं के रूप में) का स्वागत करे, और साथ ही बिना भीड़ भाड़ किये हुये विकास में सहायक हो।

च – समय

परिवर्तन की गति एक मानदंड है जिसको नियंत्रित किया जाना चाहिये। परिवर्तन की अत्याधिक गति प्रतिकूल रूप से ऐतिहासिक नगर के सारे गुणों को प्रभावित कर सकती है।

हस्तक्षेप की सीमा और आवृति को फीसीबिलिटी और नियोजन दस्तावेज़ों तथा अध्ययन में सन्निहित और उनके अनुकूल होने के साथ ही पारदर्शी और नियंत्रित हस्तक्षेप प्रक्रियाओं का पालन भी करना चाहिये।

छ – विधि और वैज्ञानिक विद्या

ऐतिहासिक नगर या शहरी क्षेत्र के इतिहास के ज्ञान का संवर्धन पुरातात्विक जांच और पुरातात्विक खोज के उचित संरक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिये। (वाशिंगटन चार्टर)

ऐतिहासिक नगर और शहरी क्षेत्र की सुरक्षा और प्रबंधन को विवके के साथ, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण और अनुशासन द्वारा, संपौषणीय विकास के सिद्धातों के अनुसार, निर्देशित करना चाहिये।

सुरक्षा और प्रबंधन को प्रारंभिक बहु–विषयक अध्ययनों पर आधारित होना चाहिये, जिससे सरंक्षित किये जाने वाले शहरी विरासत अवयवों और गुणों का निर्धारण किया जा सके। किसी भी सुरक्षा कार्य को करने के लिये यह अनिवार्य है कि स्थल और उसके वातावरण का गहरा ज्ञान हो।

ऐतिहासिक नगर और शहरी क्षेत्र की प्रभावी रूप से सुरक्षा करने के लिये सतत निगरानी और रखरखाव अनिवार्य है।

उचित नियोजन के लिये आवश्यक है नवीनतम सटीक प्रलेखीकरण और अभिलेकन (संदर्भ विश्लेषण, विभिन्न पैमानों पर अध्ययन, घटक हिस्सों और प्रभाव की वस्तुसूची, नगर का इतिहास और उसके क्रमिक विकास के चरण, आदि)।

निवासियों और अन्य हितधारकों के साथ सीधा परामर्श और निरंतर संवाद अनिवार्य है क्योंकि उनके ऐतिहासिक नगर या क्षेत्र की सुरक्षा सबसे पहले उनसे संबध रखती है।

ज – शासन

कुशल शासन सभी हितधारकों निर्वाचित प्राधिकारीयों, नगर पालिका सेवायों, सार्वजनिक प्रशासनों, विशेषज्ञों, पेशेवर संगठनों, स्वैच्छिक निकायों, विश्वविद्यालयों, निवासियों, आदि के बीच व्यापक सुबद्धता के आयोजन का प्रावधान रखती है। ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों के सफल सुरक्षा, पुनर्वास और संपोषणीय विकास के लिये यह अति आवश्यक है।

निवासियों की सह–भागिता, जानकारी फैलाकर, जागरूकता बढ़ाकर तथा प्रशिक्षण द्वारा सुगम बनाई जा सकती है। शहरी शासन की पारंपरिक प्रणालीयों को सांस्कुतिक और

सामाजिक विविधता के सभी पहलूयों की जाँच करनी चाहिये, जिससे नयी वास्तविकता के अनुकूल नये लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की जा सके।

शहरी नियोजन और ऐतिहासिक शहरों की सुरक्षा की प्रक्रियाओं को निवासीयों को उचित जानकारी और समय देना चाहिये जिससे वे पूरी तरह से सूचित प्रतिक्रियांयें दे सकें।

सुरक्षा जरूरतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और आर्थिक उपायों को स्थापित करना चाहिये, जिससे निर्मित वातावरण के संरक्षण और उद्धार (रेस्टोरेशन) में भाग लेने वाले निजी सेक्टर कंपनियों के साथ साझेदारी को सुगम बनाया जा सके।

झ – बहु–विषयता और सहयोग

''ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों के संरक्षण के नियोजन से पहले बहु–विषयक अध्ययन किये जाने चाहिये।'' (वाशिंगटन चार्टर)

प्रारम्भिक अध्ययनों की शुरूआत से, ऐतिहासिक नगरों की सुरक्षा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के बीच प्रभावी सहयोग पर आधारित होनी चाहिये, और शेधकर्ताओं, सार्वजनिक सेवाओं, निजी उद्यमों और सामान्य जनता के सहयोग से की जानी चाहिये।

इन अध्ययनों से ऐसे ठोस प्रस्ताव निकल के आने चाहिये जो राजनीतिक निर्णय लेने वालों, सामाजिक तथा आर्थिक अभिकर्ताओं और निवासियों द्वारा आगे बढ़ाये जा सकें।

ञ – सांस्कृतिक विविधता

शहरी संरक्षण नियोजन के संदर्भ के अंतर्गत, ऐतिहासिक नगरों में काफी समय से निवास करने वाले विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिये और उनका महत्व समझना चाहिये।

उनकी ऐतिहासिक विरासत को उसकी पूरी सांस्कृतिक विविधता के साथ बनाये रखने के लिये यह अति आवश्यक है कि एक संवेदनशील और साझा संतुलन स्थापित किया जाये।

4 – प्रस्ताव और रणनीतियाँ

क – संरक्षित किये जाने वाले अवयव

1 – ऐतिहासिक नगरों की प्रामाणिकता और समग्रता, जिसका आवश्यक स्वरूप उनके सारे मूर्त और अमूर्त अवयवों के स्वभाव और सामंजस्यता द्वारा वयक्त होता है उसमें सम्मिलित है:

(क) शहरी आकृति जो कि सड़कों के जाल द्वारा परिभाषित होती है, भूखंड, हरित स्थान और इमारतों तथा हरित स्थानों तथा खुली जगहों के बीच के सबंध;

''(ख) संरचना, आयतन, शैली, पैमाना, सामग्री, रंग और अलंकरण द्वारा परिभाषित इमारतों का आकार और दिखावट तथा उनका आन्तरिक तथा बाहरी रूप;

(ग) नगर और शहरी क्षेत्र तथा उसके आसपास के परिवेश, प्राकृतिक और मानव निर्मित, दोनों के बीच में सबंध; ''(वाशिंगटन चार्टर)

(ध) विभिन्न प्रकार्य जो नगर या शहरी क्षेत्र ने समय के साथ अर्जित किये हैं;

(ड) सांस्कृतिक परपंरायें, पारस्परिक तकनीकें, स्पिरिट ऑफ प्लेस और सब कुछ जो जगह की पहचान बनाने में योगदान देती है;

2 स्थल की संपूर्णता, उसके घटक हिस्सों, स्थल का सन्दर्भ तथा वे हिस्से जो सन्दर्भ को बनाते हैं उन सब के बीच में संबध;

3 सामाजिक ताना–बाना, सांस्कृतिक विविधता;

4 गैर नवीकरणीय संसाधन, उनकी खपत को कम करना और उनके पुनः उपयोग तथा पुनरावर्तन को प्रात्साहित करना।

ख – नये कार्य

"नये प्रकार्यों और गतिविधियों को ऐतिहासिक नगर या शहरी क्षेत्र के स्वरूप के साथ संगत होना चाहिये।" (वाशिंगटन चार्टर)

नई गतिविधियों के समावेशन को पारंपरिक गतिविधियों या कोई भी चीज़ जो स्थानीय निवासियों के दैनिक जीवन को सहारा देती हो उसकी उत्तरजीविता के साथ समझौता नही करना चाहिये। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक विविधता और अनेकता जो कि इस संदर्भ मे सबसे बहुमूल्य अवयव हैं, उनको संरक्षित करने में मदद कर सकती है।

नवीन गतिविधि का समावेशन करने से पहले, यह आवश्यक है कि शामिल उपयोगकर्ताओं की संख्या, प्रयोग की अवधि, अन्य मौजूदा गतिविधियों के साथ अनूकूलता और पारंपरिक स्थानीय प्रथाओं पर प्रभाव को ध्यान में रखा जाये।

ऐसे नये कार्यों को ऐतिहासिक नगर की एक अनूठी और अपूरणीय पारितंत्र के रूप में परिकल्पना के अनुरूप संपोषणीय विकास की आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहिये।

ग – समकालीन वास्तुकला

जब नई इसारतों का निर्माण आवश्यक हो या मौजूदा इमारतों को अनुकूलनीय बनाना हो, तो समकालीन वास्तुकला को ऐतिहासिक नगरो में मौजूदा स्थानिक अभिनयास के साथ संगत होना चाहिये जैसे कि बाकी शहरी वातावरण में हो। समकालीन वास्तुकला को स्थल के पैमाने का आदर करके अपनी अभिव्यक्ति ढूंढ़नी चाहिये और मौजूदा वास्तुकला तथा संदर्भ के विकास पैटर्नों के साथ स्पष्ट सामंरस्य रखना चाहिये।

"किसी भी नवीन निर्माण से पहले शहरी संदर्भ का विश्लेषण होना चाहिये न केवल इमारत के समूह का सामन्य स्वरूप परिभाषित करने के लिये अपितु उसके प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण करने के लिये भी, जैसे ऊँचाई की सामंजस्यता, रंगों, सामग्रीओं और आकारों, जिस तरह से अग्रभाग और छतों का निर्माण किया गया है उनमें स्थिरांक, इमारतों के आयतन और स्थानिक आयतन के बीच में संबंध, साथ ही उनके औसत अनुपात और उनकी स्थिति में संबध। भूखड़ो के माप पर विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि भूखड़ों के पुनर्गठन से द्रव्यमान में परिवर्तन होने का खतरा रहता है जो कि संपूर्णता के सामंजस्य के लियें हानिकारक हो सकती है" (नैरोबी सिफारिश, अनुच्छेद 28)।

परिप्रेक्ष्यों, दृश्यों, केन्द्रीय बिन्दुओं और दृष्टि संबधी गलियारे ऐतिहासिक स्थानों के बोध का अभिन्न हिस्सा हैं। नयें हस्तक्षेपों के घटित होने पर इनका सम्मान करना चाहिये। किसी भी हस्तक्षेपों से पहले, मौजूदा सन्दर्भ का सावधानी पूर्वक विश्लेषण और प्रलेखन करना चाहिये । नये निर्माणों से और उन तक दृश्य शंकुओं की पहचान, अध्ययन और उन्हें बनाये रखना चाहिये।

ऐतिहासिक संदर्भ और परिदृश्य में नई इमारत के समावेश का मुलयांकन औपचारिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण, से करना चाहिये खासकर जब वो नई गतिविधियों के लिये नामांकित हो ।

घ – सार्वजनिक स्थान

ऐतिहासिक नगरों में सार्वजनिक स्थान न केवल चलने फिरने के लिये एक आवश्यक संसाधन है, अपितु चिंतन, सीखने और नगर का लूत्फ उठाने के लिये भी एक जगह है। उसकी योजना और अभिन्यास, जिसमें सड़क की चल सामग्री (फर्नीचर) की पसंद शामिल है, के साथ ही उसके प्रबंधन, को उसके स्वरूप और सौदर्य की रक्षा करनी चाहिये, और सामाजिक संपर्क को सपर्पित सार्वजनिक जगह के रूप में उसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

सार्वजनिक खुले स्थान और धने निर्मित वातावरण के बीच संतुलन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण और नियंत्रण नये हस्तक्षेपों और नये उपयोगों के होने की स्थिति में करना चाहिए।

ड़ – सुविधायें और संशोधन

शहरी नियोजन को ऐतिहासिक नगरों को सुरक्षित करने के लिये निवासियों की सुविधाओं की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिये।

ऐतिहासिक इमारतों में नई सुविधाओं का एकीकरण एक चुनौती है जिसे स्थानीय प्राधिकरणों कों नजरअंदाज नही करना चाहिये।

च – गतिशीलता

"ऐतिहासिक नगर या शहरी क्षेत्र में यातायात को सखती से नियमों द्वारा नियंत्रित करना चाहिये।" (वाशिंगटन चार्टर)

"जब शहरी या क्षेत्रीय नियोजन प्रमुख सड़कों के निर्माण को अनुमति देता है, तो उन्हें ऐतिहासिक नगर या शहरी क्षेत्र को बेधना नही चाहिये, अपितु उन तक पहुँच को सुधारना चाहिये।" (वाशिंगटन चार्टर)

अधिकाशं ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों की योजना पैदल चलने वाले और परिवहन के धीमे साधनों के लिये की गई थी। धीर–धीरे इन जगहों में कार की घुसपैठ होने से, उनका पतन हो गया। उसी के साथ साथ, जीवन की गुणवत्ता कम हो गई।

यातायात के बुनयादी ढांचे (कार पार्किंग, भूमिगत स्टेशन, आदि) को इस ढ़ंग से नियोजित करना चाहिये जिससे ऐतिहासिक ताने बाने या उसके वातावरण को नुकसान नही हो। किसी भी ऐतिहासिक शहर को ऐसे परिवहन के सृजन को प्रात्साहित करना चाहिये जिसके हल्के पदछाप हों।

पैदल चलने फिरने को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इसे हासिल करने के लिये, यातायात को जबर्दस्त ढ़ंग से सीमित करना चाहिये और पार्किंग सुविधाओं को कम किया जाना चाहिये। इसी के साथ, संपोषणीय, गैर–प्रदूषणकारी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को शुरू करना चाहिये और गैर–मोटर चालित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिये।

सड़क मार्गों का अध्ययन किया जाना चाहिये, और पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देने के लिये नियोजित करना चाहिये। अच्छा हो कि पार्किंग सुविधाओं को संरक्षित क्षेत्र और, अगर संभव हो, तो बफर (मध्यवर्ती) क्षेत्र के बाहर स्थित करना चाहिये।

भूमिगत बुनियादी ढांचे, जैसे भूमिगत मार्ग, का नियोजन ऐसे होना चाहिये जिससे ऐतिहासिक या पुरातात्विक ताने–बाने या उसके वातावरण को क्षति न पहुँचे।

प्रमुख राजमार्ग तंत्र को संरक्षित क्षेत्रों और बफर (मध्यवर्ती) क्षेत्रों से दूर रहना चाहिये।

छ – पर्यटन

ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों के विकास और पुनरोद्धार में पर्यटन एक सकरात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐतिहासिक नगरो में पर्यटन का विकास स्मारकों और खुली जगहों के सुधार पर; स्थानीय समुदाय की पहचान और उसकी संस्कृति तथा पारंपरिक गतिविधियों के सम्मान और समर्थन पर; तथा क्षेत्रीय और वातावरण स्वरूप की सुरक्षा पर आधारित होना चाहिये। पर्यटन गतिविधि को निवासियों के दैनिक जीवन का सम्मान करना चाहिये और उसमें दखल नही देना चाहिये।

पर्यटकों का महान आगमन स्मारकों और ऐतिहासिक क्षेत्रों के संरक्षण के लिये खतरा बन सकता है।

संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं को पर्यटन के अपेक्षित प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिये, और प्रक्रिया को विरासत तथा स्थानीय निवासियों के लाभ के लिये नियंत्रित करना चाहिये।

ज – खतरे

''ऐतिहासिक नगर या शहरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले आपदा का जो भी स्वभाव हो, निरोधक तथा मरम्मत उपायों को संबंधित संपत्तियों के विशिष्ट स्वरूप के अनुकूल होना चाहिये।'' (वाशिंगटन चार्टर)

संरक्षण योजनायें खतरे से निपटने की तत्परता में सुधार और वातावरण प्रबंधन और सुपोषण के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का मौका देती है।

झ – उर्जा की बचत

ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों में सारे हस्तक्षेपों का उद्देश्य होना चाहिये, ऐतिहासिक विरासत विशेषताओं का सम्मान करने के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार और प्रदूषकों को कम करना।

नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

एतिहासिक क्षेत्रों में किसी भी नये निर्माण को ऊर्जा कुशल होना चाहिये। शहरी हरित स्थानों, हरित गलियारों और अन्य उपायों को शहरी गर्म द्विपों से बचने के लिये अपनाया जाना चाहिये।

ञ – सहभागिता

''निवासियों – और सभी स्थानीय हित समूहों की सह–भागिता और जुड़ाव – संरक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक हैं और उसे प्रोत्साहित करना चाहिये। ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों के संरक्षण का संबध सबसे पहले उनके निवासियों से होता है।'' (वाशिंगटन चार्टर अनुच्छेद 3)

ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों में नियोजन एक भागीदारी की प्रक्रिया होनी चाहिये जिससे सभी हितधारकों को जोड़ा जा सके।

उनकी भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिये, एक सामान्य जानकारी वाला कार्यक्रम, स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों से शुरूकर सभी निवासियों के लिये स्थापित करना चाहिये। संरक्षण संगठनों की गतिविधयों को प्रोत्साहित करना चाहिये,और निर्मित वातावरण के संरक्षण और उद्धार का सुगम बनाने के लिये आर्थिक उपाय करने चाहिये।

ऐतिहासिक नगरों के सफलतापूर्वक संरक्षण, पुनरोद्धार और विकास का आधार, जन जागरूकता, और स्थानीय समुदायों तथा पेशेवर समूहों के बीच साझा उद्देशों की आपसी समझ है।

सूचना तकनीकें प्रत्यक्ष और तत्काल संचार को सक्षम बनाती है। यह सजग और जिम्मेदार स्थानी समूहों की सहभागिता की अनुमति देती है।

ऐतिहासिक नगरों और शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा में प्राधिकारीयों की रूचि को प्रात्साहित करना चाहिये, जिससे आर्थिक उपायों को स्थापित किया जा सके और जो प्रबंधन और सुधार की योजनाओं को संभव बनायेंगे।

ट – संरक्षण योजना

''संरक्षण योजना का उद्देश होना चाहिये ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना .....'' (वाशिंगटन चार्टर, अनुच्छेद 5)

इसमें मूर्त और अमूर्त दोनो अवयव शामिल होते हैं, जिससे जगह की पहचान को बिना उसके क्रमिक विकास में बाधा डाले सुरक्षित किया जा सके।

संरक्षण योजना के प्रमुख उद्देशों के साथ साथ, उनको हासिल करने के लिये आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक और आर्थिक उपायों को भी स्पष्ट रूप सेघोषित करना चाहिये।" (वाशिंगटन चार्टर, अनुच्छेद 5)

संरक्षण की योजना को पूरे नगर के नियोजन के साथ पुरातात्विक, ऐतिहासिक, वास्तु, तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक गुणों के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिये। इसे एक संरक्षण परियोजना का वर्णन करना चाहिये, और प्रबंधन योजना के साथ जोडकर स्थायी निगरानी की जानी चाहिये।

संरक्षण योजना को किसी भी परिवर्तन की शर्तों नियमों, उद्देशों और परिणामों का निर्धारण करना चाहिये। इसेयह निर्धारित करना चाहिये कि कौन सी इमारतों – और स्थानों का संरक्षण किया जाना चाहिये, किन का संरक्षण किसी निश्चित परिस्थितियों में होना चाहिये और कौन, बहुत असाधारण परिस्थितियों में नष्ट करने योग्य हो सकती हैं। (वाशिंगटन चार्टर)

किसी भी हस्तक्षेप से पहले, मौजूदा परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ प्रलेखन किया जाना चाहिये।

संरक्षण योजना को नगर के गुणों और स्वरूप को बनोने वाले अव्यवों, के साथ ही उन अव्यवों को जो ऐतिहासिक नगर तथा शहरी क्षेत्र के स्वरूप को आभूषित और/या प्रदर्शित करते हैं, उनकी पहचान और सुरक्षा करनी चाहिये।

संरक्षण योजना में प्रस्तावों को एक यार्थावादी तरीके से, कानूनी, वित्तीय और आर्थिक दृष्टि, के साथ–साथ आवश्यक मानकों और प्रतिबन्धों के लिहाज से स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिये।

"संरक्षण योजना का ऐतिहासिक क्षेत्र के निवासियों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिये।(वाशिंगटन चार्टर, अनुच्छेद 5)

जब कोई संरक्षण योजना न हो तो, एक ऐतिहासिक शहर में सारी आवश्यक संरक्षण और विकास गतिविधियों को संरक्षण और सुधार के सिद्धांतों और उद्देशों के अनुसार किया जाना चाहिये।

ठ – प्रबंधन योजना

एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली को हर ऐतिहासिक नगर और शहरी क्षेत्र के प्रकार और स्वरूप, और उसके सांकृतिक और प्राकृतिक संदर्भ के अनुसार तैयार किया जाना चाहिये। इसमें पारंपरिक प्रथाओं का समन्वय होना चाहिये और जो दूसरे शहरी ओर क्षेत्रीय नियोजन साधन लागू किये गये हों उनके साथ तालमेल होना चाहिये।

प्रबंधन योजना ज्ञान, मूर्त और अमूर्त संसाधनों के संरक्षण और सुधार पर आधारित होती है।

अतः आवश्यक है की वोः

- सांकृतिक गुणों को निर्धारित करे;
- हितधारकों और उनके गुणों को पहचाने;
- संभावित संघर्षों को पहचाने;
- संरक्षण लक्ष्यों को निर्धारित करे;

- कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी तरीकों और साधनों को निर्धारित करे;
- सामर्थय, कमजोरियों, अवसरों और खतरों को समझे;
- उपयुक्त रणनीतियों, काम की समय सीमा, और विशिष्ट कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे

इस तरह की प्रबंधन योजना को बनाना एक सहभागिता की प्रक्रिया होनी चाहिये।

स्थानीय प्राधिकारियों, अधिकारियों, क्षेत्र सर्वेक्षण और विस्तृत प्रलेखन द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के साथ, योजना में परिशिष्ठ के रूप में हितधारक चर्चाओं से मिले निष्कर्षों और ऐसी स्वाभाविक रूप से विराधाभासी बहसों में से निकलने वाले संघर्षों का विश्लेषण शामिल होना चाहिये।

आगे की कार्यवाही

यह सिफारिशें CIVVIH द्वारा किये गये सहयोगात्मक कार्य का परिणम है, जो ICOMOS (ईकोर्मास)के नेतृत्व में किये जा रहे व्यापक विचार–विमर्शों में उसका योगदान है।

यह एक खुले स्त्रोत का दस्तावेज है जिसका चर्चित मुद्दों में होने वाले क्रमिक विकास के प्रकाश में सुधार किया जा सकता है।